



1. डॉ० राकेश प्रताप शाही
2. अर्चिता सिंह

निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत दैनिक महिला मजदूरों की समस्याएँ एवं कारण : एक समाजशास्त्री अध्ययन (गोरखपुर नगर के औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गीडा) के विशेष सन्दर्भ में)

1. आचार्य, 2. शोध अध्येत्री— समाजशास्त्र विभाग, श्री भगवान महावीर पी०जी० कालेज, फाजिलनगर, कुशीनगर (उ०प्र०) भारत

Received-09.03.2024,

Revised-15.03.2024,

Accepted-20.03.2024

E-mail: aaryavart2013@gmail.com

सारांश: वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत दो प्रकार के प्रमुख वर्ग पाये जाते हैं – प्रथम उद्योगपति एवं दूसरा श्रमिक वर्ग। उद्योगपति सर्वप्रथम अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए अनिवार्य साधन—सामग्री को संग्रहीत करता है भूमि, उपकरण, भवन एवं मजदूरों का भी व्यवस्था उद्योगपति ही करता है। उद्योगपति इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए सम्पत्ति का इंतजाम करके उद्योग को स्थापित करता है। वहीं दूसरी तरफ मजदूर वर्ग होता है जिसके पास केवल श्रम होता है। श्रमिक का श्रम ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर उद्योगपति संसाधनों का प्रबन्ध एवं धन का व्यय करता है इसी प्रकार श्रमिक वर्ग भी उद्योग के संचालन के लिए अपने श्रमरूपी धन को लगाता है। एक मजदूर अपने श्रम को तभी लगा सकता है, जब पूँजीपति उद्योगों की मूलभूत संरचना की व्यवस्था करता है मजदूरों के श्रम के जरिए ही उद्योगपति उत्पादन करता है एवं उद्योगपति के माध्यम से मजदूर अपनी जीविका चलाते हैं।

कुंजीशब्द— औद्योगिक व्यवस्था, श्रमिक वर्ग, उद्योगपति, साधन—सामग्री, संग्रहीत, उपकरण, मजदूर वर्ग, श्रमिक, संसाधनों।

आधुनिक औद्योगिक परिवेश में यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि श्रमिक वर्ग अनेकों समस्याओं को झेल रहे हैं चाहे वह पुरुष श्रमिक हो या महिला श्रमिक पुरुष की तुलना में महिला श्रमिकों की समस्याएँ और भी उनको कठिनाईयों में डालती है। उदाहरण के तौर पर शोषण की समस्या श्रमिक संघों की समस्या, जीवन स्तर की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, कार्यकुशलता की समस्या, मध्यस्थों की समस्या, कार्यस्थल पर उचित सुविधाओं को अभाव की समस्या इत्यादि। यह सम्पूर्ण रूप से उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसका कारण है क्योंकि कार्य करने की क्षमता के दशाओं के अन्तर्गत वह समग्र पर्यावरण आ जाता है जिसमें एक श्रमिक को श्रम बेचना पड़ता है। पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक एवं अभौतिक उन पदार्थों तथा गतिविधियों से है जो परिश्रमी व्यक्ति को प्रभावित करता है। अनेकों श्रम कानूनों में मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का उद्देश्य मजदूरों में सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न है, जिससे मजदूर वर्ग अपनी आर्थिक क्रियाकलापों में लगा रहे। इन सब के अलावा यह मालिक तथा मजदूर के मध्य शान्तिपूर्ण एवं मधुर सम्बन्ध स्थापित करता है।

यदि कार्य की दशाएँ श्रमिकों के अनुकूल रहेगी, तो मजदूरों का अपने कार्य के प्रति तत्परता बनी रहेगी। उनका अपने काम में मन लगेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पादन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे पृथक अगर कार्य की दशाएँ मजदूरों के उपयुक्त नहीं है तो इसका प्रभाव मजदूरों के मानसिक एवं शारीरिक क्रियाकलापों दोनों पर विपरीत प्रभाव डालती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है किसी भी क्षेत्र में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। बावजूद इसके महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि फैक्टरी अधिनियम 1948 महिलाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा, कल्याण और लाभों से सम्बन्धित अनेकों प्रावधान प्रदान करता है फिर भी कुछ क्षेत्रों में इसका अभाव है। फैक्टरी अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है कि हरेक फैक्टरी में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए पर्याप्त मूत्रालय और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए आस-पास कपड़े धोने के स्थान भी होने चाहिए।

धारा 34 सम्बन्धी राज्य सरकार को कारखानों में महिलाओं पुरुषों एवं युवाओं द्वारा उठाए जाने वाले अधिकतम वजन सीमा के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए कुछ शक्तियाँ देती है। भारत सरकार ने कारखानों में महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। मातृत्व लाभ 1961 के माध्यम से मातृत्व लाभ दिए जाते हैं फैक्टरी अधिनियम 1948 श्रमिकों के कल्याण का प्रावधान करता है इस कल्याण में से अधिकांश बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं जैसे बैठने की जगह, कैटीन, प्राथमिक चिकित्सालय की सुविधाएँ और क्रेच भी। कई कारखानों में इसका अभाव है कई फैक्ट्रियों में सभी कल्याणकारी जरूरतें हैं लेकिन वे सबसे अच्छे स्तर पर टूटी हुई बैंचों और पुरानी मेजों के साथ जिन्हें वर्षों से नहीं बदला गया है।

पूर्व अनुसंधान की समीक्षा— डॉ० कुमार किशोर (2021) ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की समस्या एवं भूमिका संघर्ष का अध्ययन किया है और अध्ययन में पाया कि कार्यरत महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है इसलिए उन्हें संयुक्त परिवार की व्यवस्था को अपनाना चाहिए, जिससे उनके बच्चों का सही प्रकार से देखभाल हो सके।

डिसूजा (1975) के अवलोकन में महिला मजदूरों की आर्थिक कठिनाइयों का विश्लेषण हुआ है।

नीरा देसाई (1975) के द्वारा कार्योजन में आने वाले महिलाओं के कार्योजन में आने से सम्बन्धित कारकों तथा कामकाजी महिलाओं की समस्याओं से सम्बन्धित विवरण दिया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य— निजी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत दैनिक महिला मजदूरों की समस्या के कारण का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।

उपकल्पना—

1. निजी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत दैनिक महिला मजदूरों की सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक



2. निजी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत दैनिक महिला मजदूरों की ये समस्याएं चक्रीय होती हैं।

शोध प्रविधि एवं अध्ययन समग्र— प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थिनी द्वारा सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। शोध के लिए अध्ययन क्षेत्र का चयन सोदेश्य या सुविचार निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है।

प्रस्तावित शोध कार्य के अध्ययन क्षेत्र का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा किया गया है, जो पूर्वांचल का विकासोन्मुख नगर गोरखपुर का औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) हैं। यह क्षेत्र गोरखपुर शहर से मात्र 3 किमी0 दूरी से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर नौसढ़ से भीटी रावत् तक लगभग 20 किमी0 लम्बाई में कुल 76 राजस्व ग्रामों के परिक्षेत्र में है। सम्पूर्ण महायोजना 23 विभिन्न सेक्टरों में विभक्त है। जिसमें 7 औद्योगिक 14 आवासीय एवं 1 ब्यवसायिक सेक्टर एवं 1 सेक्टर मिश्रित उपयोग हेतु प्राविधानित है।

गीडा क्षेत्र में स्थित समीपवर्ती सहजनवां रेलवे स्टेशन सम्प्रति विकसित औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 13 एवं 15 से मात्र 3 किमी0 दूर है। चूंकि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद काफी बड़ा है। जिसमें स्थित औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र की काफी बड़ा है। इसके अन्तर्गत कुल उत्पादनरत औद्योगिक इकाइयों की संख्या 266 है। जिनमें प्रत्यक्ष सूचति सृजित रोजगार लगभग 5000 है जिनमें कुछ दैनिक महिला मजदूरों की भी संख्या है। अतः इतने विशाल औद्योगिक क्षेत्र एवं कार्यरत सभी महिला मजदूरों का अध्ययन शोध की गुणवत्ता व अपने समय एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते सम्भव नहीं है।

अतः समय और साधनों को दृष्टिगत रखते हुए सौदेश्य या सुविचार निदर्शन के आधार पर कुल कम्पनियों का 20 प्रतिशत तथा प्रत्येक कम्पनी में कार्यरत कुल महिला मजदूरों के 20 प्रतिशत मजदूरों का चयन किया गया है।

उपलब्धियाँ — प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित निजी औद्योगिक क्षेत्रों (गीडा) में कार्यरत दैनिक महिला मजदूर अनेकों समस्याओं से जकड़ी हुई हैं इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि ये दैनिक मजदूर दैनिक श्रमिक होने के कारण कारखाना नियोजक एवं मजदूर दोनों ही अनेकों सामाजिक सुरक्षा के प्राक्धानों से वंचित रह जाते हैं तब भी शोधकर्ता द्वारा किये गये, अध्ययन से निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए हैं।

सारणी संख्या-1
महिला मजदूरों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ

	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	पता नहीं	प्रतिशत	कुल
क्या आपको बीमार होने पर अवकाश मिलता है?	75	32.89	135	59.21	18	7.89	228
क्या कारखाने में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध है?	96	42.10	107	46.92	25	10.96	228
क्या कारखाना का वातावरण आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है?	35	15.35	180	78.94	13	5.70	228
क्या कारखाने में आपका समय-समय पर स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है?	32	14.03	187	82.01	9	3.94	228

उपरोक्त सारणी के आकड़ों के अवलोकन के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया जा सकता है कि गीडा में कार्यरत महिला मजदूरों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कारखाने का वातावरण स्वास्थ्यकर नहीं है क्योंकि कारखाने के कार्यरत 78.94 प्रतिशत महिला उत्तरदाता ने कारखाने के वातावरण को ठीक नहीं माना है। गीडा में मौजूद 42.10 प्रतिशत कारखानों में स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवायें मौजूद हैं परन्तु केवल 14.03 प्रतिशत महिला मजदूरों को समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण होता है, इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि गीडा में कई सुविधाओं के होते हुए भी कारखाना नियोजक श्रमिकों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतता है वह श्रमिकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण ये कि केवल 32.89 प्रतिशत महिला मजदूरों को ही अस्वस्थ होने पर अवकाश दिया जाता है। वही 59.21 प्रतिशत महिला मजदूरों को बीमारी में कोई अवकाश नहीं दिया जाता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान से समझते हुए यह कहा जा सकता है कि गीडा में कार्यरत दैनिक महिला मजदूरों की समस्याओं में एक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भी बहुत विकट है।

दैनिक महिला मजदूरों की शोषण की समस्या— महिला मजदूर कारखाना मालिक द्वारा शोषण के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं असोभनीय एहसानों के खातिर उनको सहजता से कारखाने से निकालने की चेतावनी दी जा सकती है कार्यस्थल पर भी उन्हें गंभीर प्रकार के यौन उत्पीड़न का शिकार भी होना पड़ता है।



सारणी संख्या-2
दैनिक महिला मजदूरों की शोषण की समस्या

	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	पता नहीं	प्रतिशत	कुल
क्या आपको योग्यता के अनुसार वेतन मिलता है?	180	78.94	45	19.73	3	1.31	228
क्या कारखाना मालिक आपका शोषण करता है?	23	10.08	185	81.41	11	4.82	228
क्या आपकी मजदूरी समय-समय पर मिल जाती है?	175	76.75	53	23.24	0	0	228
क्या आपका पुरुष मजदूर की अपेक्षा कम वेतन मिलता है?	180	78.94	32	14.03	16	7.01	228
क्या कारखाने में लैंगिक भेदभाव किया जाता है?	39	17.10	189	82.89	0	0	228

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश 78.94 प्रतिशत महिला मजदूर यह मानती हैं कि उनको जो वेतन प्राप्त होता वह उनके योग्यता के अनुसार वेतन दिया जाता है। वहीं इसके विपरीत विचार रखने वालों की संख्या 19.73 प्रतिशत है।

इसी क्रम में 10.08 प्रतिशत महिला मजदूरों का यह मानना है कि कारखाना मालिक उनका शोषण नहीं करते हैं, इसके विपरीत विचार रखने वाले महिला मजदूरों की संख्या 81.41 प्रतिशत है।

76.75 प्रतिशत महिला मजदूरों का यह मानना है कि उनको वेतन निश्चित समय पर दे दिया जाता है, जबकि इसके विपरीत विचार रखने वाले महिला मजदूरों की संख्या सिर्फ 23.24 प्रतिशत है।

78.94 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का मानना है कि उनको दिया जाने वाला वेतन पुरुष मजदूर की अपेक्षा कम है, जबकि इसके विपरीत विचार रखने वाले महिला उत्तरदाताओं की संख्या केवल 14.03 प्रतिशत है।

17.10 प्रतिशत महिला उत्तरदाता का मानना है कि उनके कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव किया जाता है, जबकि इसके नकारात्मक विचार रखने वाले महिला मजदूर की संख्या सर्वाधिक 82.89 प्रतिशत है।

सारणी संख्या-3
महिला मजदूरों के जीवन स्तर की समस्या

	अच्छा	प्रतिशत	संतोष जनक	प्रतिशत	निम्न	प्रतिशत	कुल
आपका जीवन स्तर किस प्रकार का है?	4	1.75	29	12.71	195	85.52	228
	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	कुल		
क्या आपकी मजदूरी आपके परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है?	23	10.08	205	89.91	228		
क्या आपके परिवार के अन्य सदस्य भी कहीं कार्यरत हैं?	218	95.61	10	4.36	228		
क्या आप ऋणग्रस्त हैं?	206	90.35	22	9.62	228		

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक 85.52 प्रतिशत महिला मजदूर अपने जीवन स्तर को निम्न स्तर का मानते हैं। वहीं केवल 10.08 प्रतिशत महिला मजदूरों का मानना है कि उनकी मजदूरी उनके परिवार के सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है।



95.61 प्रतिशत महिला मजदूरों का मानना है कि उनके अलावा उनके परिवार में अन्य सदस्य भी कहीं नौकरी करते हैं, क्योंकि महिला मजदूर का वेतन उनके परिवार की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है एवं केवल 4.38 प्रतिशत महिला मजदूर का विचार इससे भिन्न है उनके परिवार के अन्य सदस्य कहीं कार्यरत नहीं है।

सारणी में प्रदर्शित तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि 90.35 प्रतिशत महिला मजदूर का यह मानना है कि वे ऋणग्रस्त है।

सारणी संख्या-4

दैनिक महिला मजदूरों की कार्यस्थल की समस्याएं

	हॉ	प्रतिशत	नहॉ	प्रतिशत	परा	प्रतिशत	कुल
क्या आपके कार्यस्थल पर जलूरी सुविधाएं जैसे पीने योग्य पानी, शुद्ध हवा, पर्याप्त रोशनी अलग शौचालय, स्नानागार इत्यादि उपलब्ध हैं?	198	86.84	30	13.15	0	0	228
क्या आपका कार्यस्थल सुरक्षित है?	75	32.89	146	64.03	7	3.07	228
क्या आपके कार्यस्थल पर दुर्घटना में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है?	92	40.35	163	80.26	13	5.70	228
क्या आपका कार्यस्थल प्रदूषण मुक्त है?	15	6.57	213	93.42	0	0	228

उपरोक्त सारणी एक सम्मिश्रित तथ्यों को प्रकट करती है। गीडा के कारखानों में कुछ चीजें अच्छी साबित हो रही है, उदाहरण के रूप में 86.84 प्रतिशत महिला मजदूरों ने बताया कि उनके कार्यस्थल पर शुद्ध हवा, शुद्ध पेयजल, स्नानागार, शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन केवल 13.15 प्रतिशत महिला मजदूर का विचार इसके विपरीत है। 32.89 प्रतिशत महिला मजदूरों का यह मानना है कि उनका कार्यस्थल सुरक्षित है जबकि बहुसंख्यक 64.03 प्रतिशत महिला मजदूर इसके विपरीत विचार रखते हैं। इसी प्रकार 40.35 प्रतिशत महिला मजदूर यह मानती है, कि उनके यहाँ कार्यस्थल पर दुर्घटना में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जबकि 80.26 प्रतिशत महिलाओं के यहाँ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। वही प्रदूषणमुक्त कार्यस्थल के सन्दर्भ में केवल 6.5 प्रतिशत महिला उत्तरदाता का सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है। लगभग 93.42 प्रतिशत महिला मजदूरों का यह मानना है कि उनका कार्यस्थल प्रदूषणमुक्त कार्यस्थल नहीं है।

निष्कर्ष- उपरोक्त समस्याओं के विचार मंथन के बाद जब हम इन समस्याओं के कारणों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं कि उपर्युक्त अनेकों समस्याओं में महिला मजदूरों के समस्याओं का मुख्य कारण उनका दैनिक मजदूर होना है।

उपरोक्त समस्याओं के विचार एवं मंथन के बाद जब हम इन समस्याओं के कारणों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। तब उपर्युक्त अनेकों समस्याओं में महिला मजदूरों की स्वास्थ्य सम्बन्धी भी समस्याएँ बहुत दयनीय है महिला मजदूरों का निम्न जीवन स्तर का होना और पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में न मिल पाना उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। अभाव के कारण वह अस्वस्थकर परिस्थितियों में रहने और अपने क्षमता से अधिक कार्य करने पर विवश रहती है।

इसी प्रकार से उनकी दूसरी समस्या भी देखी गयी है। महिला मजदूरों की समस्याओं का एक विशेष कारण उनका दैनिक मजदूर होना है दैनिक मजदूर होने के कारण अधिकतर महिला मजदूर अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं इसके वजह से वह असंगठित क्षेत्र की महिला मजदूर के रूप में जानी जाती हैं। एक प्रकार से ये उनके शोषण का मूल कारण है।

महिला मजदूरों की चौथी समस्या जीवन स्तर की समस्या है। मजदूरों के जीवन स्तर का निम्न होने का प्रमुख कारण इनकी आय की कमी होती है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में आय की कमी उनके जीवन स्तर को प्रभावित करती है। महिला श्रमिक को हर जगह काम में सुविधा उपलब्ध नहीं रहती और जहाँ रहती है, वहाँ उनको भरपूर वेतन नहीं दिया जाता है।

अन्तिम समस्या महिला मजदूरों की कार्यस्थल की है। इनके विषय में इतना कहना उचित होगा कि गीडा एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र है यही कारण है कि यहाँ अवस्थापन सम्बन्धी नयी सुविधाएं कुछ हद तक मौजूद है या फिर इसका निर्माण चल रहा है, लेकिन अभिव्यक्त में है और आस-पास का परिदृश्य इसे उन्नत औद्योगिक क्षेत्रों जैसी सुविधा उपलब्ध करने में बाधक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. <https://blog.ipleaders.in>
2. <https://legodesk.com>
3. डॉ०, कुमार किशोर (2021), असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की समस्या एवं भूमिका संघर्ष: एक प्रमुख समस्या", पृ0 1-6.
4. डिंसूजा, बी0 (1975), "फैमिली स्टेट्स एण्ड फीमेल वर्क, पार्टिसिपेशन सोशल एक्शन, वाल्यूम-25, अंक-3, पृ0 267-76.
5. देसाई, नीरा (1975), वोमेन इन मार्डन इण्डिया, बोरा पब्लिकेशन, मुम्बई, पृ0 253.
